सं. 31011/10/2017-स्था.क-IV
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-IV डेस्क

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 11 अक्तूबर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा संचालित जहाजों पर एलटीसी पर लक्षद्वीप, समूहों के लिए 'स्पोटर्स' (सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ नेचर टूरिज्म एंड स्पोटर्स) के टूर पैकेजों की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग में एलटीसी पर की गई यात्राओं के प्रयोजनार्थ स्पोटर्स (सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ नेचर टूरिज्म एंड स्पोटर्स), लक्षद्वीप के माध्यम से बुक कराए गए जहाजों से की गई यात्रा की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने वाले संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं।

2. व्यय विभाग और संघ शासित प्रदेश, लक्षद्वीप के साथ परामर्श कर इस विभाग में इस मामले पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि लक्षद्वीप प्रशासन के स्वामित्व वाले और लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा संचालित किए जाने वाले जहाजों पर लक्षद्वीप समूहों की 'स्पोटर्स' द्वारा आयोजित टूर पैकेजों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन एलटीसी यात्रा के प्रयोजनार्थ अनुमति दी जाएगी:-

(i). 'स्पोटर्स' पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रकार के टूर पैकेजों का प्रस्ताव कर रहा है, जिनका किराया गंतव्य के लिए चुने हुए परिवहन और आवास के अनुसार वसूल किया जाता है। संबंधित टूर पैकेज के लिए केवल परिवहन प्रभारों की ही प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ii). 'स्पोटर्स' सरकारी सेवकों को किराया घटक को अलग से सूचित करते हुए परिवहन प्रभारों के लिए प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) जारी करेगा और यह प्रमाणित करेगा कि सरकारी सेवक और इसके पारिवारिक सदस्यों ने वास्तविक रूप से वह यात्रा की है जिसके लिए वह छुट्टी यात्रा रियायत का दावा कर रहा है/कर रही है।

(iii). नाव/जहाज द्वारा की गई यात्रा के लिए किराया प्रतिपूर्ति सरकारी सेवक की समुद्री अथवा नदी के स्ट्रीमर से यात्रा के लिए यात्रा भत्ता हकदारी के अनुसार की जाएगी।

3. ये अनुदेश इस का.ज्ञा. के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। पहले ही निपटाए जा चुके दावों पर पुन: कार्रवाई नहीं की जाएगी।

4. भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत स्टॉफ पर लागू होने के मामले में यह आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सूर्य नारायण 11.10.18
ह0/-
(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सचिव
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

क्रमश:.......

(मानक सूची के अनुसार)
प्रतिलिपि प्रेषित :

(i). भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
(ii). सचिव, संघ लोक सेवा आयोग।
(iii). केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
(iv). केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
(v). संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
(vi). सभी संघ शासित क्षेत्र प्रशासन।
(vii). लोक सभा/राज्य सभी सचिवालय।
(viii). कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
(ix). एनआईसी, डीओपीटी से अनुरोध है कि वह विभाग की वेबसाइट पर इस का.ज्ञा. को क्या नया है का.ज्ञा./आदेश–स्थापना-एलटीसी नियमावली पर अपलोड करें।